न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामोतार बनाम भंवरलाल वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या – 130/2025 (दूदू)

रिमांड 27/3/25

श्री राजेन्द्रसिंह खंगारोत

रामोतार बनाम भंवरलाल वगैरह (2025/130)

06.03.2025 यह अपील श्री राजेन्द्रसिंह खंगारोत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 125/2020 (220/2013) में पारित आदेश दिनांक 14.09.2005 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। भिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 27.03.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, कैम्प दूदू

27.03.2025 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 06.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारित करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है, अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्द मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.09.2025 को दर्ज कर एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। अंतरिम स्थगन आदेश दिये जाने के उपरांत लगभग 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक उपखण्ड अधिकारी, दूदू को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रामोतार बनाम भंवरलाल वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या – 130/2025 (दूदू)

लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned with CamScanner